न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी:– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:– 1/234/2023 दायर दिनांक:– 14/08/2023

जीसीएमएस नं0:–2023/462 निर्णय दिनांक:– 10/06/2024

वउनवान

1. बृजलाल पुत्र छुटट्न जाति माली निवासी बसेठ तहसील कठूमर (अलवर)

.... वादी

बनाम

1. कन्हैंयालाल पुत्र छुटट्न जाति माली निवासी बसेठ
2. श्रीमती सोमोती पत्नी कन्हैयालाल कुमार जाति माली निवासी बसेठ जिला अलवर।
3. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

<u>दावा घोषणात्मक व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा–88, 89,188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–</u>

उपस्थिति:–श्री भवानी शंकर शर्मा– अधिवक्ता वादी

श्री रूपकिशोर शर्मा– अधिवक्ता प्रतिवादी

–: निर्णय:–

वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद इस्तकरारहक स्थाई निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 723, रकबा 0.47 हैक्ट0, खसरा नम्बर 724 रकबा 0.52 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम बसेठ तहसील कठूमर जिला अलवर में है, एवं आराजी खसरा नम्बर 907/1399 रकबा 0.06 हैक्ट0, 908/1400 रकबा 0.44 हैक्ट0 वाके ग्राम बसेठ तहसील कठूमर में स्थित है जो आराजी दावा हाजा में विवादित आराजी नाम से सम्बोधित की जा रही है।यह आराजी 723, रकबा 0.47 हैक्ट0 खसरा नम्बर 724 रकबा 0.52 हैक्ट0 का 1/2 वाके ग्राम बसेठ तहसील कठूमर में स्थित है जो

10.6.24

प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि थी। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 907/1399 रकबा 0.06 हैक्ट0, 908/1400 रकबा 0.44 हैक्ट0 वाके ग्राम बसेठ तहसील कठूमर में स्थित है जो वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि थी, जिसको वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी काश्त की सुविधा हेतु अपनी –अपनी आराजीयात को आपस में तबादला कर लिया तथा वादी की आराजी खसरा नम्बर 907/1399 रकबा 0.06 हैक्ट0, 908/1400 रकबा 0.44 हैक्ट0 का पूर्ण हिस्सा अर्थात 50 एयर भूमि वाके ग्राम बसेठ को प्रतिवादीगण ने ले लिया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी की आराजी 723, रकबा 0.47 हैक्ट0 का 1/2 हिस्से अर्थात 23.05 एयर व खसरा नम्बर 724 रकबा 0.52 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा अर्थात रकबा 0.26 हैक्ट0 भूमि वाके ग्राम बसेठ को वादी ने ले लिया है तथा आपस में बदली हुई जमीन पर वादी एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से काबिज हो गये यानि आपस में सहमति से तबादला कर लिया है।उक्त बदली हुई भूमि का तबादला (विनियम विलेख)लिखवा कर उक्त दस्तावेज को तस्दीक कराने दिनांक 10.05.2023 को उप पंजीयन महोदय कठूमर के यहॉ गये तो उन्होने साफ मना कर दिया और कहा की इस प्रकार से इन्तकाल दर्ज नही होगा आप कोर्ट से डिक्री करवा कर लाओ तभी तुम्हारा तबादला होगा और तभी इन्तकाल दर्ज होगा।प्रतिवादीगण धमकी देते है कि बदली हुई जमीनों का रेकॉर्ड में अमल नही होता है तो तबादला निरस्त मानो और अपनी अपनी जमीन वापस काबिज हो जाओ तबादला से प्राप्त हुई आराजीयात में अच्छे किस्म के खाद बीज डालकर व पुख्ता मेडबन्दी तारबन्दी करके जमीन को समतल कर काफी खर्च कर जमीन को उन्नत व कीमती बना लिया है। प्रतिवादीगण को किसी [illegible] से पाबन्द एवं तबादला में प्राप्त कब्जे की उक्त आराजी में वादी के अनुसार कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जबरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करें एवं मुताबिक दावा अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने दिनांक 10.10.2023 को हाजिर अदालत होकर इकबाल जबाव दावा पेश कर दावा को मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री किये जाने पर सहमति दी गई। प्रतिवादी संख्या 3 दिनांक 08.12.2023 हाजिर अदालत होकर जबाव पेश नही करना चाहा उनका जबाव बन्द किया गया। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 प्रदर्श–1, पेश की है, जो शामिल पत्रावली है। एवं अपने दावा के समर्थन में पी डब्ल्यू 1 वादी बृजलाल , गवाह रामस्वरूप पी डब्ल्यू 2 के बयान लेखबद्ध कराये जो शामिल पत्रावली है।

10.6.24

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी सहमति से वादी से भूमि का तबादला किया गया है। प्रतिवादीगण ने वादी के दावा के तथ्यों को स्वीकार कर ईकबाल जबाव पेश किया है पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों वादी के बयानों व प्रतिवादी के ईकबाल जबाव से वाद वादी पूरी तरह साबित है।अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड वादी के बयानात व प्रतिवादीगण के ईकबालिया जबाव का अवलोकन किया।पत्रावली उपलब्ध तथ्यों से यह साबित है कि वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी–अपनी सहमति से आराजी का तबादला कराना चाहते है। ईकबालिया जबाव से मुताबिक तबादला विवादित आराजी पर पक्षकारान का कब्जा साबित है। दावा मुताबिक अनुतोष दिये जाने के अधिकारी एवं वाद वादी डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

–ःआदेशः–

दावा वादी घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी डिकी किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 723 रकबा 047 हैक्ट0 का 1/2 हिस्से का खसरा नम्बर 724 रकबा 0.52 हैक्ट0 का 1/2 हिस्स्से वाके ग्राम बसेठ तहसील कठूमर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा आराजी खसरा नम्बर 907/1399 रकबा 0.06. हैक्ट0, आराजी खसरा नम्बर 908/1400 रकबा 0.44 हैक्ट0 का पूर्ण हिस्सा वाके ग्राम बसेठ का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में से तदनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है वादी एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है डिकी में प्राप्त आराजी में कार्य काश्तकारी करने में रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जबरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करें।तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.6.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी:— श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:— 1 / 234 / 2023 दायर दिनांक:— 14 / 08 / 2023

जीसीएमएस नं0:—2023 / 462 निर्णय दिनांक:— 10 / 06 / 2024

वउनवान

1. बृजलाल पुत्र छुटट्न जाति माली निवासी बसेठ तहसील कठूमर (अलवर)

.... डिकीदारान्

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र छुटट्न जाति माली निवासी बसेठ
2. श्रीमती सोमोती पत्नी कन्हैयालाल कुमार जाति माली निवासी बसेठ (अलवर)
3. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर।

.... मदयूनान्

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत
धारा—88, 89,188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955—

अतः दावा वादी घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी डिकी किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 723 रकबा 047 हैक्ट0 का 1/2 हिस्से का खसरा नम्बर 724 रकबा 0.52 हैक्ट0 का 1/2 हिस्स्से वाके ग्राम बसेठ तहसील कठूमर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा आराजी खसरा नम्बर 907 / 1399 रकबा 0.06.हैक्ट0, आराजी खसरा नम्बर 908 / 1400 रकबा 0.44 हैक्ट0 का पूर्ण हिस्सा वाके ग्राम बसेठ का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रिकॉर्ड में से तदनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है वादी एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है डिकी में प्राप्त आराजी में कार्य काश्तकारी करने में रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

10.6.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)